भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 871**

(जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**ग्राहकों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना**

871. डा. वी. मैत्रेयनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आम लोगों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार के वित्तीय समर्थन और ऋण प्रदान के लिए उत्सुक और इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आम आदमी को किस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं और उनकी राशि क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आम लोगों और छात्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) से ऐसे ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु कौन-कौन से ठोस उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या पी.एस.बी. आम लोगों तथा छात्रों को ऋण प्रदान करने हेतु अपनाई तथा पालन की जाने वाली प्रक्रिया, अधिक समय लेने वाली, जटिल और कठिन प्रकृति की है; और

(ड.) यदि हां, तो ऋण प्रक्रिया को आसान और त्वरित बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

**(क) और (ख):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर बैंकों को समय-समय पर कई दिशानिर्देश/अनुदेश/ निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देशों की मूल भावना अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जो कि व्यवहार्य और ऋण के लायक होने के बावजूद इस विशेष व्यवस्था के अभाव में समय से तथा पर्याप्त उधार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु किसानों, सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रमों को, गरीब लोगों को आवास ऋण, छात्रों को शिक्षा ऋण, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य अल्प आय समूहों और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले कम मूल्य (वैल्यू) के ऋण हैं। ये दिशानिर्देश आरबीआई की वेबसाईटः [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार 21,78,165 करोड़ रुपए था।

**(ग) से (ड.):** भारत तथा विदेश में उच्चतर शिक्षा पाने हेतु मेधावी छात्रों को बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भारतीय बैंक संघ ने आदर्श शिक्षा ऋण योजना (आईबीए की वेबसाइट [www.iba.org.in](http://www.iba.org.in) पर उपलब्ध) तैयार की है जिसे उसके सदस्य बैंकों द्वारा अपनाया जाना है।

\*\*\*\*\*